[2021] 8 एस.सी.आर. 895

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

एम.एस. हरेश्वर एंटरप्राइजेज (पी.) लिमिटेड, एवं ओ.आर.एस.

(सिविल अपील संख्या 7033/2009)

18 अगस्त 2021

[हेमंत गुप्ता और ए.एस. बोपन्ना, जे.जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - बीमा दावा प्रतिवादी संख्या- 1-बीमाधारक पॉलीथीन, प्लास्टिक फिल्म आदि के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था - प्रतिवादी संख्या- I के कारखाने में संयंत्र और मशीनरी को सुरक्षा के रूप में प्रतिवादी संख्या- 2 के पक्ष में चार्ज किया गया था और व्यापार में स्टॉक को उनसे प्राप्त ऋण की अदायगी के लिए प्रतिवादी संख्या- 3 पर गिरवी रखा गया था। फैक्ट्री, प्लांट और मशीनरी को आग, बाढ़ और भूकंप के जोखिम के खिलाफ अपीलकर्ता-बीमाकर्ता की बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किया गया था - आग लगने से कुल विनाश हुआ। अपीलकर्ता था अपीलकर्ता द्वारा नियुक्त सूचित संयुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं ने नुकसान का आकलन किया - अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई - उक्त रिपोर्ट के बावजूद, अपीलकर्ता ने जांचकर्ताओं को नियुक्त किया - आखिरकार, प्रतिवादी संख्या- 1 द्वारा शिकायत दर्ज की गई। एन.सी.डी.आर.सी. ने आंशिक रूप से दावे की अनुमति दी, आगे प्रतिवादी संख्या- 2 और 3 के पक्ष में राशि का वितरण किया - अपील पाया, माना गया: आग दिनांक 06.11.99 को लगी, सर्वेक्षकों ने दिनांक 09.11.99 को ही साइट का दौरा किया - अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया बीमाकर्ता ने दिनांक 23.03.2000 और दिनांक 13.03.01 को तुरंत कोई कदम नहीं उठाया - बहुत देरी के बाद, उसने दिनांक 22.06.01 को अन्वेषक को नियुक्त किया लेकिन प्रतिवादी संख्या- 1 के बार-बार अनुरोध के बावजूद उक्त प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया। इसके अलावा, पहली बार बीमाकर्ता ने एन.सी.डी.आर.सी. कार्यवाही में अन्वेषक की रिपोर्ट पर भरोसा किया-सर्वेक्षकों की रिपोर्ट प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत की गई थी - जिस तरीके से बीमाकर्ता आगे बढ़ा, उसे ध्यान में रखते हुए जांच रिपोर्ट के बजाय उसमें निकला निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय है। मामला - इसलिए, जांच रिपोर्ट को विश्वसनीयता दिए बिना एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर निर्भरता को गलत नहीं ठहराया जा सकता है - इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - हालांकि, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा आदेशित राशि 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय होगी, बजाय 12% प्रति वर्ष के।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-धारा 24 ए-कार्रवाई का कारण: धारा 24 ए इंगित करती है कि शिकायत को दायर किया जाना आवश्यक है ।

कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष तक कार्रवाई का कारण परिवर्तनीय रहेगा और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों से इकट्ठा किया जाएगा - वर्तमान मामले में, हालांकि कार्रवाई का कारण पहली बार तब उत्पन्न हुआ जब आग लगी थी, लेकिन यह उस बिंदु पर स्थिर नहीं रहा - जैसे-जैसे मामला घूमता रहा, तथ्यों पर कार्रवाई का नया कारण सामने आया, दायर की गई शिकायत समय के भीतर थी - एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा योग्यता के आधार पर उस पर विचार करना उचित था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - बीमा दावा - सर्वेक्षकों की रिपोर्ट, पर निर्भरता: सर्वेक्षकों की रिपोर्ट मूल दस्तावेज है जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है - इस पर भरोसा किया जा सकता है यदि यह न्यायनिर्णयन मंच के विश्वास को प्रेरित करता है और यदि तथ्यों पर, मंच को यह नहीं मिलता है किसी अन्य सामग्री पर निर्भरता रखने की आवश्यकता है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

माना गया: 1.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24ए इंगित करती है कि शिकायत को 'कार्रवाई का कारण' उत्पन्न होने की तारीख से दो साल के भीतर दायर किया जाना आवश्यक है। कार्रवाई का कारण प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों के समूह से इकट्ठा किया जाना परिवर्तनीय रहेगा। मौजूदा मामले में आग लगने की घटना दिनांक दिनांक 06.11.1999 को हुई थी। अपीलकर्ता ने बीमाकर्ता को दिनांक 07.11.1999 को सूचित किया था, जहां संयुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति के बाद और सत्यापन के बाद दिनांक 13.03.2001 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट के बावजूद, बीमाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.06.2001 के माध्यम से एक अन्वेषक नियुक्त किया था, लेकिन दावे को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके अलावा, एन.सी.डी.आर.सी. संदर्भ से पहले बीमाकर्ता की ओर से दायर जवाब में यह शामिल है कि दिनांक 07.03.2002, 05.04.2002, 03.05.2002 , 03.06.2002 और 13.07.2002 के पत्रों के माध्यम से बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त जांचकर्ता और प्रतिवादी संख्या- 1 के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया था। यदि उपरोक्त संदर्भ में तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया जाए, हालांकि आग की घटना दिनांक 06.11.1999 को हुई थी, उसी ने पहली बार दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण प्रदान किया था, लेकिन वही जी उसी पर स्थिर नहीं रहा। दूसरी ओर, संयुक्त सर्वेक्षण की प्रक्रिया हालांकि दिनांक 13.03.2001 को अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ समाप्त हो गई थी, अन्वेषक की नियुक्ति के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या- 1 को संबोधित दिनांक 22.06.2001 के पत्र ने कार्रवाई का एक नया कारण बना दिया था और मामले को

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम.एस. हरेश्वर
एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड एवं ओ.आर.एस.

लटकाये रखा. इसके बाद मामला यहीं शांत नहीं हुआ बल्कि दोबारा हुआ । विवरण मांगते हुए जांचकर्ताओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जब यह उचित तरीके से समाप्त नहीं हुआ, तो प्रतिवादी संख्या- 1 ने दिनांक 05.01.2003 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसका जवाब जारी किया गया, जब वास्तव में अस्वीकृति एकत्र की गई और शिकायत दर्ज की गई। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 22.06.2001 के माध्यम से अन्वेषक की नियुक्ति की सूचना की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए, तो भी उस तिथि से 26.03.2003 को दायर की गई शिकायत समय के भीतर है। एन.सी.डी.आर.सी. को दावे को सीमा के भीतर रखने के लिए शुरू में कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी और जब इसके तथ्य स्पष्ट हो जाएं तो आगे बढ़ें। ऐसे में एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा योग्यता के आधार पर शिकायत पर विचार करना उचित था। [पैरा 6-8][902-ई-एफ; 903-सी-डी, जी-एच; 904- ए-ई]

कंडीमल्ला राघवैया एंड कंपनी बनाम नेशनल
इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर **(2009) 7 एससीसी 768: [2009] 10 एससीआर 870 प्रतिष्ठित।**

1.2 दावे के योग्यता के आधार पर, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित विवादित आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि एन.सी.डी.आर.सी. ने संयुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.03.2001 को प्रस्तुत रिपोर्ट का विस्तृत संदर्भ दिया है और अंततः दावे को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सर्वेक्षक रिपोर्ट दिनांक 13.03.2001 में दो भागों पर विचार किया गया; सबसे पहले, रिपोर्ट के खंड 8.1 में निहित एलडीपीई प्लास्टिक, पाउडर, कणिकाओं, ट्यूबिंग और फिल्मों के स्टॉक से संबंधित नुकसान का आकलन। इसके बाद, संयंत्र और मशीनरी के नष्ट होने के कारण हुए नुकसान का आकलन खंड 8.2 में किया गया है और मूल्यह्रास मूल्य के रूप में 46,60,459/- रुपये की राशि संयंत्र और मशीनरी के नुकसान के लिए प्रदान की गई है। उक्त दावे के संबंध में प्रतिवादी संख्या- 2 (महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम) इच्छुक है। संयंत्र और मशीनरी के पहलू पर सर्वेक्षणकर्ताओं या एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा किए गए विचार के संबंध में कोई गंभीर विवाद नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर एकमात्र प्रश्न जिस पर यहां विचार करने की आवश्यकता है, वह आग की घटना में स्टॉक-इन-ट्रेड के नष्ट होने के आकलन किए गए नुकसान के संबंध में है। सर्वेक्षक की रिपोर्ट को निश्चित रूप से साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में नोट किया जा सकता है जब तक कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट की सामग्री का खंडन करने के लिए अधिक विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है। तात्कालिक तथ्यों में अग्निकांड को लेकर कोई गंभीर विवाद नहीं है। की वजह से नुकसान हुआ और आग लगने की घटना में संयंत्र और मशीनरी का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह विवाद कच्चे माल/स्टॉक को हुए नुकसान के संबंध में इस तर्क के

साथ उठाया गया है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 1999 के महीनों के दौरान स्टॉक की खरीद अप्रैल से जुलाई 1999 तक स्टॉक की स्थिति की तुलना में अत्यधिक दिखाई गई है। परिस्थिति, तथ्यों और परिस्थितियों में यहां यह मुद्दा है कि क्या जांच रिपोर्ट एक अपरिहार्य दस्तावेज थी या क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट उस पहलू पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त विस्तृत है। कानून का यह प्रस्ताव कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट को एक पवित्र दस्तावेज़ के रूप में नहीं माना जा सकता है और यदि जांच रिपोर्ट सहित कोई विपरीत साक्ष्य सी है, तो इसे खंडन सामग्री के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। हालाँकि, ध्यान देने योग्य मुद्दा यह है कि क्या मौजूदा मामले में सर्वेक्षक की रिपोर्ट उचित तरीके से स्टॉक की स्थिति पर विचार करने का विज्ञापन करती है और उस परिस्थिति में क्या एक जांच रिपोर्ट जो कि देर से शुरू की गई जांच पर आधारित है, को केंद्र में ले जाना चाहिए तथ्य यह है कि सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट मूल दस्तावेज है जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसे आधार बनाया जा सकता है यदि यह निर्णायक मंच के विश्वास को प्रेरित करता है और यदि ऐसे मंच किसी अन्य सामग्री पर निर्भरता रखने की आवश्यकता नहीं लगती है। यदि उस प्रकाश में, सर्वेक्षकों की रिपोर्ट, जिस पर एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा भरोसा किया गया है, को ध्यान में रखा गया है, जहां तक स्टॉक के नष्ट होने के कारण होने वाले नुकसान से संबंधित आकलन है, उसी पर विचार खंड 8.1.1 में विज्ञापित किया गया है और बैंक को घोषित स्टॉक स्थिति का उल्लेख खंड 8.1.3 में किया गया है। [पैरा 9-11, 13 और 1411904-ई-जी; 905-ए-बी; 906-सी-डी; 907-ए-एफ]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरजीत राइस मिल्स **(2005) 6 एससीसी 45 [2005] 1 सप्लिमेंट। एस.सी.आर. 794 - प्रतिष्ठित।**

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार **(2009) 7 एस.सी.सी. 787: [2009] 16 एससीआर 508** - करने के लिए भेजा।

1.3 स्टॉक से संबंधित विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किया गया विचार इंगित करता है कि बैंक को घोषित स्टॉक के मूल्य का संदर्भ दिया गया है; दिनांक 31.03.1999 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विनिर्माण खाते और बैलेंस शीट के अनुसार स्टॉक का मूल्य; अगस्त 1999 से अक्टूबर 1999 के महीनों के दौरान की गई खरीद के लिए स्पष्टीकरण पेश किया गया। उस संबंध में, सर्वेक्षणकर्ताओं ने उस स्रोत का भी

दौरा किया है जहां से सितंबर 1999 से दिनांक 04.11.1999 के दौरान एल.डी.पी.ई. की खरीद की गई थी। इस प्रकार, सर्वेक्षक की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि यह त्रुटिपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें सभी पहलुओं का उल्लेख किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं था उसे छोड़ दिया गया और उसके बाद मूल्यांकन किया गया है। उस पृष्ठभूमि में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, आग की घटना दिनांक 06.11.1999 को हुई थी और सर्वेक्षणकर्ताओं ने दिनांक 09.11.1999 को ही साइट का दौरा किया था और अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट दिनांक 23.03.2000 और दिनांक 13.03.2001 को बीमाकर्ता को प्रस्तुत की गई थी। उचित विचार-विमर्श बीमाकर्ता ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बहुत देरी के बाद दिनांक 22.06.2001 को अन्वेषक को नियुक्त किया और उक्त प्रक्रिया समाप्त नहीं की, हालांकि प्रतिवादी संख्या- 1 ने बार-बार अनुरोध किया था। बीमाधारक ने एन.सी.डी.आर.सी. से संपर्क किया था और यह उक्त कार्यवाही में है, पहली बार बीमाकर्ता अन्वेषक की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है। इसलिए, जिन तथ्यों और परिस्थितियों में सर्वेक्षकों की रिपोर्ट प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत की गई थी, उसमें बीमाकर्ता जिस तरह से मामले में आगे बढ़ा था, उसे ध्यान में रखते हुए जांच रिपोर्ट के बजाय उसमें जो निष्कर्ष निकाला गया वह अधिक प्रशंसनीय और विश्वसनीय है। इसलिए, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच रिपोर्ट को विश्वसनीयता दिए बिना एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर निर्भरता को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। उस दृष्टि से, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा इस पहलू पर जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 15, 16] 1907-जी-एच: 908-ए; 909-सी-एफ]

1.4 सामान्य परिस्थिति में दी जाने वाली ब्याज दर आनुपातिक होनी चाहिए ताकि दावेदार को विलंबित भुगतान के लिए इस तरह का लाभ मिल सके। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है जिसके लिए एन.सी.डी.आर.सी. ने 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित समझा हो। इसलिए, सामान्य बैंक दर या उसके आसपास 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित होगा। तदनुसार, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा आदेशित राशि 12% प्रति वर्ष के बजाय 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय होगी। उस सीमा तक, आदेश संशोधित है। इस न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए और आदेश पर रोक लगाते हुए, इसे राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 50% राशि जमा करने के अधीन कर दिया था। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को अनुमति दी गई थी, इसे 60:40 के अनुपात में वापस लेने के अधीन है, आयोग की संतुष्टि के लिए । इसलिए अपीलकर्ता को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष छह सप्ताह के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी और संवितरण प्रदान की गई पूरी राशि के भुगतान के अनुपात में किया जाएगा।

दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी। पैरा 17,18||909-जी-एच; 910-ए-सी]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम बी.एस. कृषि उद्योग **(I) (2009) 5 एस.सी.सी. 121: [2009] 4 एस.सी.आर. 762 - संदर्भित।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7033/2009.

मूल में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 27.03.2009 के निर्णय और आदेश की याचिका संख्या 102/2003.

विष्णु मेहरा, बी.के. सतीजा, सलाहकार अपीलकर्ता के लिए.

विनय नवारे, संतोष पॉल, सीनियर. सलाहकार, सुश्री. आभा आर. शर्मा, एम. जे. पॉल, अनिरुद्ध पी. मायी, सलाहकार उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए.एस. बोपन्ना, जे.एस.

1. अपीलकर्ता (बीमाकर्ता) जिसे ओ.पी. संख्या- 102/2003 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में एन.सी.डी.आर.सी.) के समक्ष दायर शिकायत में प्रतिवादी संख्या- 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष है। दिनांक 27.03.2009 के आदेश से व्यथित होकर। प्रतिवादी संख्या- 1 (बीमाधारक) एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष दावेदार था। प्रतिवादी संख्या- 1 के स्वामित्व वाले कारखाने में संयंत्र और मशीनरी को प्रतिवादी संख्या- 2 के पक्ष में सुरक्षा के रूप में चार्ज किया गया था, जबकि व्यापार में स्टॉक को ऋण के निर्वहन के लिए प्रतिवादी संख्या- 3 (ठाणे एच जन सहकारी बैंक) के पक्ष में गिरवी रखा गया था। उनसे प्राप्त किया गया, के बाद से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अपने के लिए दावे को समायोजित करने के हकदार हैं, उन्हें कार्यवाही में पार्टियों के रूप में रखा गया है।

2. यहां दिए गए आदेश दिनांक 27.03.2009 के माध्यम से, एन.सी.डी.आर.सी. ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और बीमाकर्ता को प्रति वर्ष 12% ब्याज के साथ 79,34,703/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। उक्त राशि में से,

49,56,897/- रुपये की राशि प्रतिवादी संख्या- 2 (महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम) के पक्ष में वितरित करने का आदेश दिया गया है और शेष राशि 29,77,806/- रुपये देने का आदेश दिया गया है। प्रतिवादी संख्या- 3 (ठाणे जन सहकारी बैंक लिमिटेड) को भुगतान किया गया। दी गई कुल राशि रुपये के दावे के विरुद्ध है। 1,25,25,319/- प्रतिवादी संख्या- 1 (बीमाकृत) द्वारा बनाया गया।

3. एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष दावे संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या- 1 पॉलीथीन, प्लास्टिक फिल्म और अन्य समान पैकेजिंग सामग्री के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था। प्रतिवादी संख्या- 2 ने प्रतिवादी क्रमांक I को उसके भवन, संयंत्र और मशीनरी की सुरक्षा के बदले अग्रिम ऋण दिया था। प्रतिवादी संख्या- 3 ने व्यापार में स्टॉक की खरीद के लिए प्रतिवादी संख्या- 1 को पैसे भी दिए थे, जो तदनुसार उनके लिए गिरवी रखे गए थे। फैक्ट्री की इमारत और संयंत्र और मशीनरी को आग, बाढ़ और भूकंप के जोखिम को कवर करने के लिए, प्रतिवादी संख्या- 1 ने अपीलकर्ता से बीमा पॉलिसियां सुरक्षित कीं। एक पॉलिसी दिनांक 05.02.1999 से दिनांक 04.02.2000 की अवधि के दौरान जोखिम को कवर करने के लिए थी। व्यापार में स्टॉक के जोखिम के संबंध में एक अन्य पॉलिसी भी सुरक्षित की गई थी जो दिनांक 17.09.1999 से दिनांक 16.09.2000 की अवधि के लिए थी। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या- 1 फैक्ट्री परिसर में अपना व्यवसाय कर रहा था, जबकि 06.11.1999 को आग लगने से प्लांट और मशीनरी, कच्चे माल के साथ-साथ तैयार और अधूरा माल पूरी तरह नष्ट हो गया। प्रतिवादी संख्या- 1 ने अपीलकर्ता को दिनांक 07.11.1999 को आग की घटना के बारे में सूचित किया।

4. अपीलकर्ता ने तदनुसार मैसर्स को नियुक्त किया। एच. मन्ना एंड कंपनी और वीरेंद्र पद्मसी शाह संयुक्त रूप से नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। सर्वेक्षणकर्ताओं ने दिनांक 09.11.1999 को साइट का दौरा किया। दस्तावेज़ और रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद दिनांक 23.03.2000 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दिनांक 13.03.2001 को अंतिम रिपोर्ट बीमाकर्ता को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के माध्यम से सर्वेक्षणकर्ताओं ने रुपये के नुकसान का आकलन किया था। 1,06,00,000/- व्यापार हानि और अन्य हानियों को छोड़कर। हालाँकि, बीमाकर्ता ने दावे का निपटान नहीं किया और न ही उसे अस्वीकार किया। इसके बजाय, बीमाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.06.2001 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या- I को दावे की जांच के लिए जांचकर्ता के रूप में ओम नित्यानंद एंटरप्राइजेज की नियुक्ति के बारे में सूचित किया। उस दृष्टिकोण से, चूंकि कानूनी नोटिस के माध्यम से बार-बार किए गए अनुरोध और मांग का अपीलकर्ता द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या- 1 ने

एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष शिकायत दर्ज की। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एन.सी.डी.आर.सी. मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है और दावे के एक हिस्से को अनुमति देने का आदेश पारित किया है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु मेहरा ने शुरू में तर्क दिया कि एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष कार्यवाही टिकाऊ नहीं थी क्योंकि दावा सीमा से परे दायर किया गया था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में अधिनियम 1986') की धारा 24 ए का उल्लेख किया है, जो कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो साल के भीतर शिकायत दर्ज करने की सीमा प्रदान करता है। उस प्रकाश में, यह तर्क दिया गया है कि आग की घटना दिनांक 06.11.1999 को हुई थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या मैंने दिनांक 26.03.2003 को एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष शिकायत दर्ज की थी जो उक्त प्रावधान के तहत प्रदान की गई दो साल की अवधि से कहीं अधिक है। अपने कथन को पुष्ट करने के लिए विद्वान अधिवक्ता मामले, भारतीय स्टेट बैंक बनाम बी.एस. में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। कृषि उद्योग (1) (2009) 5 एस.सी.सी. 121 पैराग्राफ 11 और 12 के विशिष्ट संदर्भ के साथ। उक्त निर्णय के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है और इसके लिए उपभोक्ता फोरम की आवश्यकता है शिकायत स्वीकार करने से पहले यह देख लें कि यह शिकायत कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो साल के भीतर दायर की गई है।

6. विवाद को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान पर किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है। हालाँकि, जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि प्रावधान इंगित करता है कि शिकायत उस तारीख से दो साल के भीतर दर्ज की जानी आवश्यक है जिस दिन 'कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। उस संदर्भ में, मामले में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक और निर्णय पर भरोसा किया गया। ***कंडीमल्ला राघवैया एंड कंपनी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर*** *(2009) 7* ***एससीसी*** *768* ***पैरा*** *18* के विशिष्ट संदर्भ के साथ यह संकेत देगा कि 'कार्रवाई का कारण' शब्द हालांकि अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका व्यापक महत्व है और यह होगा जी सीमा पर विचार करते समय अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग अर्थ। उसमें यह माना गया है कि सारगर्भित रूप से बताए गए 'कार्रवाई का कारण' का अर्थ है, कार्रवाई का वह कारण जिसके लिए मुकदमा लाया गया है और जो इसके लिए अवसर देता है और मुकदमे की नींव बनाता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस मामले पर भरोसा किया गया है क्योंकि उक्त मामले में, जो एक आग की घटना के संबंध में भी था, यह माना गया था कि कार्रवाई के कारण की गणना की तारीख वह तारीख होनी चाहिए जिस दिन आग लगती

है। हालाँकि, क्या यह नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है कि, उद्धृत मामले में इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा गया था क्योंकि तंबाकू गोदाम में आग दिनांक 22/23.03.1988 को लगी थी और जिस बैंक के पक्ष में स्टॉक को गिरवी रखा गया था, उसे अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.03.1988 को इसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन जहां तक दावे का सवाल है, मामला दिनांक 06.11.1992 तक वहीं रुका हुआ था जब अपीलकर्ता ने पहली बार बीमा कंपनी को पत्र लिखा और दावा प्रपत्र मांगा। उसमें दिए गए तथ्य, अगर नोट किए जाएं तो उस कारण का संकेत मिलेगा जिसके लिए इस अदालत ने संकेत दिया था कि जिस तारीख को आग लगी थी, वह कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख है क्योंकि यह किसी अन्य तरीके से आगे नहीं बढ़ी थी। इसे स्ट्रेट जैकेट में नहीं रखा गया है. कार्रवाई का कारण प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों के समूह से इकट्ठा किया जाना परिवर्तनीय रहेगा।

7. इसके विपरीत, जैसा कि बताया गया है, मौजूदा मामले में आग लगने की घटना दिनांक 06.11.1999 को हुई थी। अपीलकर्ता ने बीमाकर्ता को दिनांक 07.11.1999 को सूचित किया था, जहां संयुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति के बाद और सत्यापन के बाद दिनांक 13.03.2001 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट के बावजूद, बीमाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.06.2001 के माध्यम से एक अन्वेषक नियुक्त किया था, लेकिन दावे को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस पृष्ठभूमि में, एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष प्रतिवादी संख्या- 1 द्वारा दायर की गई शिकायत का अवलोकन यह संकेत देगा कि कार्रवाई का कारण पैरा 21 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गया है: -

> "**21. <u>कार्रवाई का कारण</u>**
>
> पहली बार कार्रवाई का मुद्दा तब उठा जब शिकायतकर्ता की संपत्ति 6.11.1999 को आग में नष्ट हो गई। फिर यह समय-समय पर जारी रहा जब सर्वेक्षण पूरा हो गया और शिकायतकर्ता को दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया। यह तब उत्पन्न हुआ जब शिकायत की ओर से कानूनी नोटिस जारी किया गया था और प्रतिद्वंद्वी संख्या- 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा इसका उत्तर दिया गया था। इसलिए वर्तमान मूल याचिका परिसीमा में है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने 5.1.2003 को कानूनी नोटिस जारी कर विपरीत पक्ष संख्या से पैसे की मांग की। उक्त पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न है और इसे अनुबंध पी/13 के रूप में चिह्नित किया गया है।"

इसके अलावा, एन.सी.डी.आर.सी. संदर्भ से पहले बीमाकर्ता की ओर से दायर जवाब में यह शामिल है कि बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त जांचकर्ता और प्रतिवादी संख्या- 1 के बीच दिनांक दिनांक 07.03.2002, 05.04.2002, 03.05.2002 03.06.2002 और 13.07.2002 के पत्रों के माध्यम से पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया था।

8. यदि उपरोक्त संदर्भ में यहां तथ्यात्मक स्थिति देखी गई है, हालांकि आग की घटना दिनांक 06.11.1999 को हुई थी, उसने पहली बार दावा करने के लिए केवल कार्रवाई का कारण प्रदान किया था लेकिन वह उस समय स्थिर नहीं रहा। बिंदु। दूसरी ओर, संयुक्त सर्वेक्षण की प्रक्रिया हालांकि दिनांक 13.03.2001 को अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ समाप्त हो गई थी, अन्वेषक की नियुक्ति के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या- 1 को संबोधित दिनांक 22.06.2001 के पत्र ने कार्रवाई का एक नया कारण बना दिया था और मामले को लटकाये रखा. इसके बाद मामला यहीं शांत नहीं हुआ बल्कि जांचकर्ताओं द्वारा बार-बार विवरण मांगते हुए कार्रवाई की गई। जब यह उचित तरीके से समाप्त नहीं हुआ, तो प्रतिवादी संख्या- 1 ने दिनांक 05.01.2003 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसका उत्तर तब जारी किया गया, जब वास्तव में अस्वीकृति एकत्र की गई और शिकायत दर्ज की गई। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 22.06.2001 के माध्यम से अन्वेषक की नियुक्ति की सूचना की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए, तो भी उस तिथि से दिनांक 26.03.2003 को दायर की गई शिकायत समय के भीतर है। एन.सी.डी.आर.सी. को दावे को सीमा के भीतर रखने के लिए शुरू में कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी और जब इसके तथ्य स्पष्ट हो जाएं तो आगे बढ़ें। ऐसे में एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा योग्यता के आधार पर शिकायत पर विचार करना उचित था। इसलिए, उस आधार पर विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु मेहरा द्वारा आग्रह किया गया तर्क खारिज कर दिया गया है।

9. दावे के योग्यता के आधार पर, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित दिनांक 27.03.2009 के विवादित आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि एन.सी.डी.आर.सी. ने संयुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.03.2001 को प्रस्तुत रिपोर्ट का विस्तृत संदर्भ दिया है और अंततः दावे की अनुमति दी है। , भाग में। सर्वेक्षक रिपोर्ट दिनांक 13.03.2001 में दो भागों पर विचार किया गया; सबसे पहले, रिपोर्ट के खंड 8.1 में निहित एल.डी.पी.ई. प्लास्टिक, एफ पाउडर, ग्रैन्यूल, ट्यूबिंग और फिल्मों के स्टॉक से संबंधित नुकसान का आकलन। इसके बाद, संयंत्र और मशीनरी के नष्ट होने के कारण हुए नुकसान का आकलन खंड 8.2 में किया गया है और मूल्यह्रास मूल्य के रूप में 46,60.459/- रुपये की राशि संयंत्र और मशीनरी के नुकसान

के लिए प्रदान की गई है। उक्त दावे के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 (महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम) इच्छुक है। उस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, साथ ही प्रतिवादी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि सर्वेक्षकों या एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा संयंत्र के पहलू पर किए गए विचार के संबंध में कोई गंभीर विवाद नहीं है। मशीनरी. एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होने के कारण इन कार्यवाहियों में इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

10. इस मामले को देखते हुए योग्यता के आधार पर एकमात्र प्रश्न जिस पर यहां विचार करने की आवश्यकता है, वह आग की घटना में स्टॉक-इन-ट्रेड के नष्ट होने के आकलन किए गए नुकसान के संबंध में है। इस पहलू पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए कि एन.सी.डी.आर.सी. ने जांच रिपोर्ट को विश्वसनीयता दिए बिना सर्वेक्षक रिपोर्ट पर भरोसा करके गलती की है, उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मामले में दिए फैसले का हवाला दिया है। प्रदीप कुमार (2009) 7 एससीसी 787 और पैरा 21 और 22 का संदर्भ दिया गया है जो इस प्रकार है: -

"21. अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम(2) में लिखा है:

"64-यू.एम. (2) किसी हानि के संबंध में कोई दावा नहीं जो भारत में हुई है और बीमा की किसी भी पॉलिसी के मूल्य में बीस हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक का भुगतान या भारत में निपटान की आवश्यकता है, उत्पन्न या बीमाकर्ता को सूचित किया गया है बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, भुगतान के लिए स्वीकार किया जाएगा या बीमाकर्ता द्वारा निपटान किया जाएगा जब तक कि उसने एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की हो, हुए नुकसान पर, उस व्यक्ति से जिसके पास सर्वेक्षक या हानि मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के तहत जारी लाइसेंस है (इसके बाद इसे "अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि मूल्यांकनकर्ता" कहा जाएगा):

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई राशि से भिन्न किसी भी राशि पर किसी भी दावे का भुगतान करने या निपटाने के बीमाकर्ता के अधिकार को छीनने या कम करने वाला नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य यह है कि जहां बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले नुकसान के संबंध में दावा 20,000/- रुपये या अधिक है, तो इसे स्वीकार करने से पहले नुकसान का आकलन एक अनुमोदित सर्वेक्षक (या हानि मूल्यांकनकर्ता) द्वारा किया जाना चाहिए। बीमाकर्ता द्वारा भुगतान या निपटान के लिए। हालाँकि, इसमें संलग्न प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि बीमाकर्ता किसी भी राशि पर बीमाधारक को हुए नुकसान के दावे का निपटान कर सकता है या अनुमोदित सर्वेक्षक (या हानि मूल्यांकनकर्ता) द्वारा मूल्यांकन की गई राशि से अलग किसी भी राशि का भुगतान बीमाधारक को कर सकता है।

22. दूसरे शब्दों में यद्यपि बीमाकर्ता द्वारा बीस हजार रुपये या उससे अधिक के दावे के भुगतान या निपटान के लिए अनुमोदित सर्वेक्षक द्वारा हानि का आकलन एक पूर्व-आवश्यकता है, लेकिन सर्वेक्षक की रिपोर्ट अंतिम और अंतिम शब्द नहीं है। यह इतना पवित्र नहीं है कि यह नहीं हो सकता से विदा हो जाओ; यह निर्णायक नहीं है. अनुमोदित सर्वेक्षक की रिपोर्ट बीमाधारक को हुए नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा दावे के निपटान के लिए आधार या नींव हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी रिपोर्ट न तो बीमाकर्ता और न ही बीमाधारक पर बाध्यकारी है।

11. उक्त निर्णय में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालांकि एक अनुमोदित सर्वेक्षक द्वारा नुकसान का आकलन दावे के भुगतान या निपटान के लिए एक शर्त है, लेकिन सर्वेक्षक की रिपोर्ट अंतिम और अंतिम शब्द नहीं है। यह इतना पवित्र नहीं है कि इसे छोड़ा न जा सके और यह निर्णायक नहीं है। अनुमोदित सर्वेक्षक की रिपोर्ट बीमाधारक को हुए नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा दावे के निपटान का आधार या बुनियाद हो सकती है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट न तो बीमाकर्ता और न ही बीमाधारक के लिए बाध्यकारी है। उक्त प्रस्ताव पर, हम निश्चित हैं कि कोई झगड़ा नहीं हो सकता। सर्वेक्षक की रिपोर्ट को निश्चित रूप से साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में नोट किया जा सकता है जब तक कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट की सामग्री का खंडन करने के लिए अधिक विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरजीत राइस मिल्स*** *(2005) 6* ***एस.सी.सी.*** *45* ***के पैराग्राफ*** *5,* ***6 और*** *7* के संदर्भ में दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया है। यदि बीमाधारक बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम (सी) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर बीमाकर्ता को बाध्य करने के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता था। हालांकि बीमाकर्ता ने जांच रिपोर्ट पर भरोसा करने की मांग की

थी। राज्य आयोग ने निजी अन्वेषक की रिपोर्ट पर गौर करने से इनकार कर दिया। उस परिस्थिति में, इस अदालत का विचार था कि राज्य आयोग को बीमाकर्ता को जांच रिपोर्ट साबित करने का अवसर देना चाहिए था। उक्त मामले में, आग लगने की घटना की प्रकृति शुरू से ही विवाद में थी। दावेदार ने तर्क दिया था कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिस पर बीमाकर्ता ने गंभीरता से विवाद किया था और उस संबंध में जांच की गई थी। इस आलोक में, दावे का निर्णय करने वाले फोरम को एक निष्कर्ष पर पहुंचना था कि क्या घटना की प्रकृति के संदर्भ में दावा करने में कोई धोखाधड़ी की गई थी। उस परिस्थिति में, भले ही पहले जी उदाहरण में, पुलिस द्वारा जांच की गई थी, बीमाकर्ता द्वारा की गई निजी जांच प्रश्न का निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक होती। इस प्रकार, उक्त परिस्थिति में यह जरूरी था कि जांचकर्ता की रिपोर्ट को निराधार माना जाए और एक निर्णय पर पहुंचा जाए।

13. दूसरी ओर, तात्कालिक तथ्यों में आग लगने की घटना के संबंध में कोई गंभीर विवाद नहीं है। यहां तक कि सामने रखे गए तर्क को देखते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि आग की घटना में संयंत्र और मशीनरी के नष्ट होने से हुआ नुकसान कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यह विवाद कच्चे माल/स्टॉक को हुए नुकसान के संबंध में इस तर्क के साथ उठाया गया है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 1999 के महीनों के दौरान स्टॉक की खरीद अप्रैल से जुलाई 1999 तक स्टॉक की स्थिति की तुलना में अत्यधिक दिखाई गई है। परिस्थिति, यहां तथ्यों और परिस्थितियों में क्या जांच रिपोर्ट एक अपरिहार्य दस्तावेज थी या क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट उस पहलू पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त विस्तृत है, यह मुद्दा है।

14. उक्त निर्णयों को नोट करने के बाद, हमारी राय है कि यह तत्काल मामले में स्थिति को नहीं बदल सकता है। कानून के इस प्रस्ताव पर कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट को एक पवित्र दस्तावेज़ के रूप में नहीं माना जा सकता है और यदि जांच रिपोर्ट सहित कोई विपरीत सबूत है, तो इसे खंडन सामग्री के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए, हम सहमत हैं। हालाँकि, ध्यान देने योग्य मुद्दा यह है कि क्या मौजूदा मामले में सर्वेक्षक की रिपोर्ट उचित तरीके से स्टॉक की स्थिति पर विचार करने का विज्ञापन करती है और उस परिस्थिति में क्या एक जांच रिपोर्ट जो कि देर से शुरू की गई जांच पर आधारित है, को केंद्र में ले जाना चाहिए । तथ्य यह है कि सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट मूल दस्तावेज है जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसे आधार बनाया जा सकता है यदि यह निर्णायक मंच के विश्वास को प्रेरित करता है और यदि ऐसे मंच को तथ्यों में किसी अन्य सामग्री पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं लगती है और मामले में उत्पन्न परिस्थिति। यदि उस प्रकाश में,

सर्वेक्षकों की रिपोर्ट, जिस पर एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा भरोसा किया गया है, को ध्यान में रखा गया है, जहां तक स्टॉक के नष्ट होने के कारण होने वाले नुकसान से संबंधित आकलन है, उसी पर विचार खंड 8.1.1 में विज्ञापित किया गया है और बैंक को घोषित स्टॉक स्थिति का उल्लेख खंड 8.1.3 में किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने विस्तृत संदर्भ दिया है और हमें रिपोर्ट में निहित विवरणों से अवगत कराया है।

15. स्टॉक से संबंधित विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए विचार से संकेत मिलता है कि बैंक को घोषित स्टॉक के मूल्य का संदर्भ दिया गया है; दिनांक 31.03.1999 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विनिर्माण खाते और बैलेंस शीट के अनुसार स्टॉक का मूल्य; अगस्त 1999 से अक्टूबर 1999 के महीनों के दौरान की गई खरीद के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उस संबंध में, सर्वेक्षणकर्ता ने उस स्रोत का भी दौरा किया है जहां से सितंबर 1999 से दिनांक 04.11.1999 के दौरान एल.डी.पी.ई. की खरीद की गई थी। इस तरह के सत्यापन और पूछताछ करने पर, सर्वेक्षणकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे: -

> "8. 1.8 हालांकि खरीद और बिक्री रिकॉर्ड के अनुसार सही पाई गई, हम बीमाधारक द्वारा दावा की गई कि 73585 किलोग्राम की कुल मात्रा को स्वीकार नहीं कर सके। इस शेष राशि पर पहुंचने के लिए विचार किया जाने वाला प्रारंभिक स्टॉक घोषित मात्रा की तुलना में अधिक है बैंक। मात्रा का आकलन करने के लिए हमने बैंक घोषणा के अनुसार दिनांक 30.04.99 को स्टॉक मात्रा ली है और फिर 1.5.99 से 6.11.99 की अवधि के दौरान खरीद और बिक्री मात्रा के लिए जोड़/कटौती की है। तदनुसार आज की तारीख में स्टॉक की मात्रा हानि की गणना इस प्रकार की गई:

	किग्रा.
दिनांक 30.4.99 को स्टॉक मात्रा	5,367.75
जोड़ें: 1.5.99 से खरीदारी 6.11.99	1,14,155.60
	1,19,523.35
घटाये: 1.5.99 से 6.11.99 तक बिक्री शेष मात्रा 6.11.99 को	75,444.73
	44,078.62

8.1.9 हमने नवीनतम खरीद दर के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया है। बाज़ार मूल्य पर नुकसान से पहले बीमाधारक द्वारा की गई आखिरी खरीदारी 4.11.99 को थी। चुंगी सहित दर 68.238 रुपये प्रति किलोग्राम है। दर आईपीसीएल द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य से मेल खाती है। इसके अलावा बीमाधारक की अपनी विनिर्माण लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी से बचने के लिए पूरी मात्रा को कच्चा माल माना गया।

8.1.10 बचाव: जले हुए स्टॉक के अवशेष थोड़ी मात्रा में, गांठ/मटे हुए रूप में थे। निकाली जा सकने वाली सीमित मात्रा और उसके स्क्रैप मूल्य को ध्यान में रखते हुए हमने बचाव मूल्य के रूप में 1% की कटौती की है।

8.1.11 स्टॉक के लिए आंकलित हानि इस प्रकार है

लागत 44078.620 कि.ग्रा. एल.डी.पी.ई. का	
@रु. 68.238 प्रति किग्रा.	रू. 30,07,885
घटाये: बचाव मूल्य 1%	रू. 30,079

नुकसान का आकलन किया गया	रु. 29,77,806

16. इस प्रकार, सर्वेक्षक की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि यह त्रुटिपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें सभी पहलुओं का उल्लेख किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं था उसे छोड़ दिया गया और उसके बाद मूल्यांकन किया गया है। उस पृष्ठभूमि में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, आग की घटना 06.11.1999 को हुई थी और सर्वेक्षणकर्ताओं ने 09.01.1999 को ही साइट का दौरा किया था और अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट 23.03.2000 और 13.03.2001 को बीमाकर्ता को प्रस्तुत की गई थी। उचित विचार-विमर्श बीमाकर्ता ने तुरन्त कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बहुत देरी के बाद 22.06.2001 को अन्वेषक नियुक्त किया गया और प्रतिवादी संख्या- 1 द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उक्त प्रक्रिया समाप्त नहीं की गई। बीमाधारक ने एन.सी.डी.आर.सी. से संपर्क किया था और यह उक्त कार्यवाही में है, पहली बार बीमाकर्ता अन्वेषक की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है। इसलिए, जिन तथ्यों और परिस्थितियों में सर्वेक्षकों की रिपोर्ट प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत की गई थी, उसमें बीमाकर्ता जिस तरह से मामले में आगे बढ़ा था, उसे ध्यान में रखते हुए जांच रिपोर्ट के

बजाय उसमें जो निष्कर्ष निकाला गया वह अधिक प्रशंसनीय और विश्वसनीय है। इसलिए, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच रिपोर्ट को विश्वसनीयता दिए बिना एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर निर्भरता को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। उस दृष्टि से, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा इस पहलू पर जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. मामले का एक अन्य पहलू जो यहां विचार के लिए उठता है वह ब्याज दर के संबंध में है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर अत्यधिक है। हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या- 1 को देय राशि के भुगतान में देरी हुई थी, जिसे उचित मुआवजा दिया जाना आवश्यक था और उस संबंध में एन.सी.डी.आर.सी. उचित था। इस पहलू पर विचार करने के बाद, सामान्य परिस्थिति में दिए जाने वाले ब्याज की दर आनुपातिक होनी चाहिए ताकि दावेदार को विलंबित भुगतान के लिए इस तरह के लाभ के लिए सक्षम बनाया जा सके। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है जिसके लिए एन.सी.डी.आर.सी. ने ऐसा करना उचित समझा हो प्रति वर्ष 12% की दर से । इसलिए, सामान्य बैंक दर या उसके आस पास 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित होगा। तदनुसार, एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा आदेशित राशि 12% प्रति वर्ष के बजाय 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय होगी। उस सीमा तक, आदेश संशोधित माना जाएगा।

18. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए और आदेश पर रोक लगाते हुए, इसे राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 50% राशि जमा करने के अधीन बनाया था। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को आयोग की संतुष्टि के लिए सुरक्षा के आधार पर 60:40 के अनुपात में इसे वापस लेने की अनुमति दी गई थी। इसलिए अपीलकर्ता को शेष राशि छह सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी और संवितरण प्रदान की गई पूरी राशि के भुगतान के अनुपात में किया जाएगा। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

19. उपरोक्त के संदर्भ में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।